न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/401
दायरा तिथि : 17.11.2022
आदेश तिथि : 25-10-2023
प्रार्थी :–

श्रीमति पूरण कंवर पत्नि मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी जीवदा, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-10-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 596/415 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 417 रकबा 0.3600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/397 दिनांक 13.07.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 596/415 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी श्रीमति पूरण कंवर पत्नि मंगलसिह जाति राजपूत निवासी जीवदा, तहसील बाली जिला पाली (राज.) के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 596/415 रकबा 0.5000 हैक्टर तथा प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतू चाहे गये रास्ते की भूमि के खसरा नंबर 417 रकबा 0.3600 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि उक्त दोनो खसरान् के बीच में गै.मु. वाला स्थित है। जिसके खसरा नंबर नंबर 416 रकबा 0.1300 हैक्टर किस्म गै.मु.वाला स्थित है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	417	0.3600 हैक्टर	बारानी सोयम	36X5= 180 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 102344 रु/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/401

अनवान पूरण कवर बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 596/415 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नही होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जाच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/397 दिनाक 13.07.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमाक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 596/415 रकबा 0.5000 **हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई** विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 417 रकबा 0.3600 हैक्टर में से **180 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा कराये। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है –

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी दर 102344/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
417	0.3600 हैक्टर	36X5=180 वर्गमीटर	11	1980 X2=3960	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 3960/– (अक्षरे तीन हजार नौ सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना, सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीन कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बाली
दिनांक 26-10-2023

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2023/741-745

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमति पूरण कंवर पत्नि मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी जीवदा, तहसील बाली जिला पाली (राज.). को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.